

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर -ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / टीसी / 688 / उपां / नग्रानि / रीवा भोपाल, दिनांक:- / 10 / 2017
प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला रीवा।
2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, रीवा।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, रीवा
जिला रीवा।
4. आयुक्त
नगरपालिक निगम, रीवा।
जिला रीवा।

विषय:- रीवा विकास योजना 2021 में उपान्तरण बाबत।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा रीवा विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि


(संदीप यादव)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / टीसी / 688 / उपां / नग्रानि / रीवा भोपाल दिनांक:- 07 / 10 / 2017
प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- ✓ ● संयुक्त संचालक, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।


(संदीप यादव)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

सूचना

क्रमांक 488) 688/उपा/टीसी/रीवा/2017 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973. (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट रीवा विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।


भोपाल, दिनांक 07/10/2017

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक/नजूल प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् भू-उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	1. उरहट	खसरा क्रमांक 186 में से	0.344 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय	वाणिज्यिक सामान्य
2	रीवा खास(घोघर)	नजूल प्लॉट क्रमांक 1086, 1087, 1088 में से	0.2134 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय	वाणिज्यिक सामान्य
	रीवा खास(घोघर)	नजूल प्लॉट क्रमांक 1201/1, 1202/1 में से	0.0318 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय	वाणिज्यिक सामान्य
	रीवा खास(घोघर)	नजूल प्लॉट क्रमांक 1213, 1215/1 में से	0.0448 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय	वाणिज्यिक सामान्य
		कुल रकबा	0.634 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा तथा www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रीवा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा ।


(संदीप यादव)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म 0प्र0भोपाल

**Directorate, Town and Country planning,
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony,
Bhopal Madhya Pradesh**

Notice

Bhopal, Dated. 07/10/2017

F.No. ^{488/}688/TC/Rewa :: In exercise of the power conferred by clause (a) of sub section (I) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Rewa Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No	Village	Khasara No./Nazul Plot No	Area(In hec.)	land use specified in the Development plan	Proposed Land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	1.Urahut	Khasara No.186 part	0.344 Hect.	Existing Residential	Commercial General
	2.Rewa Khas (Ghoghar)	Nazul Plot No 1086, 1087, 1088 part	0.2134 Hect.	Existing Residential	Commercial General
	Rewa Khas (Ghoghar)	Nazul Plot No 1201/1, 1202/1 part	0.0318 Hect.	Existing Residential	Commercial General
	Rewa Khas (Ghoghar)	Nazul Plot No 1213, 1215/1 part	0.0448 Hect.	Existing Residential	Commercial General
		Total Area	0.634 Hect.		

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, District Rewa as well as on the web site. www.mptownplan.gov.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection and suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Director, Town and Country Planning Bhopal Madhya Pradesh or Joint Director, Town and Country Planning, District office Rewa, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director .


(Sandeep Yadav)

Commissioner cum Director
Town and Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal